खण्ड-374, अंक-1
गुरूवार, 17 माघ, शक संवत् 1907
(6 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
श्री राज्यपाल द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़े जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	2
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	4
सदन में पुलिस बुलाए जाने तथा विधान भवन के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	5
उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
(उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया)	9
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया)	10
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखने में आपत्ति (जारी) ..	10
सदन में पुलिस कर्मचारी के प्रवेश पर अव्यवस्था	14
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखने में आपत्ति	14
उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया)	20
बरेली नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	20
मेरठ नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	21

गोरखपुर नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983
(सदन के पटल पर रखी गयी) 21

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1984
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 21

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 21

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 21

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .. 22

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 22

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 22

उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 22

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985
(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) 22

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 23

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) 24

नत्थी 26–33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9097

बृहस्पतिवार, दिनांक 6 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 12 बजकर 30 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच
ओमवती ,श्रीमती	बिजनौर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
मंगलदेव, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
रमेशचन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ

सत्यमेव जयते

श्री राज्यपाल द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़े जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आप सभी को नए साल की बधाई और मुबारकबाद देता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, कार्यवाही के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था के जो प्रश्न हों उनको आज के कार्यक्रम एजेंडे के बाद यदि उठायेंगे तो सुनूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आज की कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है और वह दायित्वों और बिधायकों के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने लिखित दिया है एक औचित्य का प्रश्न, जिसमें जानना चाहता हूं कि कब सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना आ गई है। आज का एजेंडा समाप्त होने के बाद जो सूचनाएं हैं उनके बारे में सुनूंगा। इसलिए आप लोग कृपा करके बैठ जायं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

कार्य-सूची के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है कि एजेंडे में जो पहला दिया है- गवर्नर के अभिभाषण को पढ़कर आप सुनायेंगे इसमें मुझे कहना है कि मान्यवर राज्यपाल जो होते हैं वह इस प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं. . .

श्री अध्यक्ष--

जब यह विषय आये तो आप अपने विचार रखें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो आप पढ़ेंगे उसी पर मेरी आपत्ति है, इसलिए मेरी बात सुन लें और व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

आपकी भी इसमें आपत्ति है तो जब यह विषय आयेगा तो आप अपने विचार रखें। आप बैठ जायं।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यव स्था का प्रश्न है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस अभिभाषण को न पढ़ें।

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं और इसको नहीं लिखा जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आप इस राज्यपाल के अभिभाषण को न पढ़ें और यदि पढ़ेंगे तो विपक्ष के लोग समझते हैं कि एक असंवैधानिक कार्य राज्यपाल ने किया है और .....

[* * *]

उसके विरोध में राज्यपाल के अभिभाषण को यहां सदन में पढ़ा जाना हमारे सदन की मर्यादा और जनतंत्रीय मूल्यों के विपरीत है। इसलिए हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है और उनकी बहस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।

नोट--(***) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कौशिक रमा शंकर––

बुनियादी प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा ही नहीं है और जब पढ़ा नहीं है तो आप मान्यवर, पढ़कर क्या सुनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष––

यह सब विषय आप बाद में उठायेंगे। आप बैठें, आपको मौका मिलेगा।

श्री कौशिक रमा शंकर––

राज्यपाल महोदय ने संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं किया है .....

*श्री राम आसरे वर्मा––

श्रीमन्, यह सदन एक प्रक्रिया एवं नियमावली के हिसाब से चलता है और उसमें लिखा हुआ है .....

श्री अध्यक्ष––

मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायें।

श्री राम आसरे वर्मा––

[* * *]

श्री अध्यक्ष––

आपका कुछ लिखा नहीं जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा––

न लिखा जाय। [* * *]

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1986 के इस अवसर पर. . .

श्री राम आसरे वर्मा––

[* * *]

श्री सरदार सिंह––

मैं खड़ा हूं, अपनी व्यवस्था के प्रश्न पर कहना चाहता हूं, पहले आप मेरी बात पूरी सुन लें, फिर इसे पढ़ें।

श्री राम आसरे वर्मा––

[* * * [

मैं इस सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गए।)

श्री सरदार सिंह––

[* * *]––

श्री अध्यक्ष––

आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायगा, आप बैठ जायं।

*श्री सरदार सिंह––

यहां पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी गयी हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष––

आज एजेंडे में प्रश्नों का समय नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि बाद में आप की बात सुन लूंगा। इस पर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं।

श्री सरदार सिंह––

आपने हमें संविधान की शपथ दिलाई है और आप यह क्या कर रहे हैं? आप विधान सभा की नियमावली का नियम 19(2) देखें. . . .

श्री अध्यक्ष––

आप इस तरीके से नियम तोड़ रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि एजेंडे के बाद सुन लूंगा और आप कहते हैं कि पहले ही हो जाय, तो यह कहां तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट––(***) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट––(***) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उचित है ? जो आप कह रहे हैं, बाद में कहें और उस पर मैं रूलिंग दूंगा।

श्री सरदार सिंह--

आप विधान सभा की नियमावली का नियम 19(2) देखें-"राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़कर सुना सकेंगे"। मान्यवर, इसमें है कि जब महामहिम पढ़ देंगे तो उसके बाद ही आप सुना सकेंगे। किन्तु उन्होंने जब अभिभाषण पढ़ा ही नहीं तो आपके पढ़ने का सवाल कहां है ?

साथ ही इस सम्बन्ध में आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 भी देखें-"राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ म विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत् दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मण्डल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।"

मान्यवर, यदि आप इसके लिए अंग्रेजी प्रति देखें तो उसमें 'शैल' शब्द का इस्तेमाल किया गया है--यह उनका मेंडेटरी कार्य है यानी उनको यहां आकर पढ़ना होगा। हमारी नियमावली के नियम 19(1) में इसी तरह से स्पष्ट लिखा है कि "विधान मण्डल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा-(1) सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समेवत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान के कारण बतायेंगे।"

मान्यवर, मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है कि महामहिम यहां आये और उन्होंने हम लोगों को यह नहीं बताया कि हम लोग यहां पर क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। मान्यवर, हम लोगों ने बहुत ही गौर से देखा था कि जो प्रति यहां पढ़नी थी वह भी उनके हाथों में नहीं थी और जब वह यहां से निकल कर गये हैं तो बाहर मौजूद एक साधारण व्यक्ति भी यह कह रहा था कि महामहिम अपना भाषण पढ़ नहीं सके।

श्री पूरन सिंह माहरा--

मान्यवर, इनका कहना सही नहीं है। महामहिम राज्यपाल आए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। शुरू और आखिर का कुछ अंश पढ़ा इसे सबने देखा है।

(शोर)

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि दुबारा विधान सभा को बुलाया जाय और विधिवत् संविधान के अनुसार सारी कार्यवाही फिर से प्रारम्भ हो वरना हमारा और आपका यहां पर बठना बेकार होगा क्योंकि यहां संविधान के अनुसार विधिवत् कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष--

आप बठ जाइए कृपा करके, काफी आपकी बात को सुना गया। राज्यपाल महोदय ने शुरू की लाइने और आखिर की लाइनें यहां पढ़ी। इसको सबने सुना और आपने अगर नहीं सुना तो इसका कोई इलाज नहीं ह।

(मेजों की थपथपाहट)

महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ और इस किस्म का निर्णय मैं पहले भी पिछले सत्र में दे चुका हूं और इसी प्रकार के निर्णय पहले के अध्यक्ष ने भी दिए हैं।

(शोर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदयगण, विधान मण्डल के वर्ष 1986 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नव वर्ष की शुभ कामनाओं सहित में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद से आपको सम्बोधित करने के इस पहले अवसर पर मुझे अपार हष हो रहा है।

एक सदस्य--

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया गया तथा मद संख्या 2 के पुकारे जाने पर)

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 26 पर)

सदन में पुलिस बुलाए जाने तथा विधान भवन के गेट पर मेटल डिक्टेटर लगाए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो आपकी औपचारिक कार्यवाही थी वह पूरी हो गयी। अब मेरे एक व्यवस्था के प्रश्न को कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। मैंने कह दिया है कि बाद में सुनूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। कार्यसूची में जो आज 12 मदें लगी हैं अगर उसके बाद मेरी बात सुनी गयी तो उसका महत्व जाता रहेगा और मेरी बात यहां की व्यवस्था से ही सम्बन्धित है, कर्त्तव्यों से सम्बन्धित है। इसलिए मुझे कह लेने दीजिए।

मान्यवर, हमारा निवेदन यह है कि जो व्यवस्था के प्रश्न लिखकर दिए गये हैं इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सत्र का आवाहन किया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत आज संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के अन्तर्गत हम लोगों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए और संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए विधान मण्डल को शक्ति दी गयी है कि वह हमारे विशेषाधिकारों से सम्बन्धित नियमावली का संचालन करेगा और समिति गठित करेगा। उसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण करने आये थे तो हमारा दायित्व था कि हम उनके भाषण को सुने और जब हम लोग यहां आ रहे थे तो काफी रोक टोक की गयी और आम तौर पर जिस प्रकार से हम विधान सभा में भाग लेने के लिए आते हैं, वैसे नहीं आने दिया गया बल्कि कई दरवाजों को बन्द कर दिया गया और कई जगहों पर पुलिस लगाई गयी।

मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर साहब यहां पर विधान सभा की एक समिति के सभापति थे और विधान सभा के अध्यक्ष भी थे। उस समिति ने 15 जनवरी, 1970 को जो निर्णय लिए थे कि सदन के मार्शल का पद क्रम ऊंचा किया जाय अर्थात् मार्शल का पद राजपत्रित और प्रदेशीय वेतनमान का हो। इसके साथ ही साथ समिति ने यह भी निर्णय लिया था कि सदन से सदस्यों को हटाने के लिए किसी भी दशा में पुलिस न बुलाई जाय और अगर बल प्रयोग की आवश्यकता हो तो केवल रक्षको (विधान सभा) का ही प्रयोग किया जाय जोकि विधान सभा सचिवालय के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे और मार्शल के अधीन कार्य करेंगे।

मान्यवर, उस कमेटी के फैसले के बाद किसी को भी इस बात की शक्ति नहीं प्रदान की गयी है कि मार्शल का काम कराने के लिए विधान सभा सचिवालय के बाहर के कर्मचारी को बुलाएगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इज्जत करता रहूं, और सदन का सम्मान बढ़ता रहे। मेरी अपनी जानकारी है, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मेरी जानकारी है कि करीब 75 पुलिस और सी0आई0डी0 के कर्मचारियों को यहां पर मार्शल के पद पर बुलाने की मांग की गयी और 75 पुलिस और सी0आई0डी0 के कर्मचारी लगाए गये। 50 वापस कर दिए गये और 25 अभी भी परिसर में तैनात हैं, जो यहां के गार्ड, जैसी वर्दी पहन कर काम कर रहे हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

75 वर्दियों को सिलवाया गया है। मैं इतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस कमेटी की घोषणा के बाद किसी भी व्यक्ति को या इस सदन को किसी भी पदाधिकारी को सदन द्वारा गठित की गयी कमेटी के फैसले का आदर करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। मैं गुजारिश करूंगा कि उस निर्णय के तहत मार्शल के पद पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को डेपुटेशन के रूप में बुलाना विधान सभा द्वारा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गठित की गयी कमेटी के निर्णय का अपमान करना है, अवमानना करनी है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह का फैसला हुआ है, यह फैसला संसदीय लोक तन्त्र की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। सदस्यों को आज परेशान किया गया है। आज 30-40 सदस्यों को रोका गया और उनसे कहा गया कि धातु खोजी यन्त्र के माध्यम से जायें। इसके अलावा जो प्रचलित तरीका है, जिन दरवाजों से होकर हम आते थे उनको बन्द कर दिया गया। आपसे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा तब आपने आदेश दिया कि दरवाजे खोल दिए जायें। पार्क रोड पर रहने वाले विधायकों के वाहनों को चौराहे पर रोक दिया गया और सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए वाहनों के के साथ नहीं आने दिया गया। किसी भी सदस्य को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है। अगर इस तरह प्रशासन के लोग पाबन्दी लगायेंगे, इस तरह की रोक लगाई जायगी तो यह साफ तौर पर हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। आप हमारे विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए हमारे अभिभावक हैं। मैं चाहूंगा कि आज जो हमको धारा 176 के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने पर रोक लगाई गयी उसके बारे में आप अपनी व्यवस्था दें ताकि हम लोग स्वतन्त्रतापूर्वक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने जिस औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में मैं यह तथ्य लाना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा जो हमारी संसदीय परम्परायें हैं और संसदीय संस्थायें हैं, उनके विरुद्ध माननीय विधायकों का जानबूझकर असम्मान किया जा रहा है। उनकी अवमानना की जा रही है, उनको एक संदिग्ध चरित्र के साथ देखा जा रहा है, मान्यवर, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उस संवैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए, हमारे संरक्षण का कार्य, हमारे सुख-दुख की रक्षा, हमारे अधिकारों की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है।

मान्यवर, जब मैंने आज विधान भवन में प्रवेश करने की चेष्टा की, तो मैंने वहां पर एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। मान्यवर, वहां पर सी0आई0डी0 के लोग खड़े थे, पुलिस के लोग खड़े थे, उन्होंने माननीय सदस्यों को सदन के अन्दर आने में बाधित किया कि उनको धातु खोजी यन्त्र जो लगा हुआ था, उसके अन्दर से जाना होगा, क्योंकि उनको अपने चरित्र की परीक्षा देनी होगी, उन्हें उस तिगोड़िया के अन्दर से निकलना होगा क्योंकि किसी के पास कोई ऐसा हथियार तो नहीं है कि जिससे वह अन्दर जाकर किसी की हत्या कर दे। मान्यवर, ऐसा समझ कर उन्होंने सभी सदस्यों के बारे में समझने की चेष्टा की। मान्यवर, अगर हमीं को संदिग्ध रूप से देखा जायगा कि कोई हथियार लेकर तो हम नहीं जा रहे हैं और उसके लिए हमें अपने चरित्र की परीक्षा देनी होगी, तो यह मान्यवर, माननीय विधायकों के लिए अपमान की बात है। इस तरह से यह जानबूझकर माननीय सदस्यों का असम्मान किया जा रहा है, उनकी अवमानना की जा रही है। मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था और जगह पर भी है, मुझे लोक सभा के बारे में बताया गया कि लोक सभा में वहां पर गैलरी में धातु खोजी यन्त्र लगा है, लेकिन माननीय लोकसभा के सदस्यों को बाधित नहीं किया जाता है कि उनको अपने चरित्र की परीक्षा देनी है।

मान्यवर, आज जो ऐसा निन्दनीय कार्य किया गया, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। मान्यवर, क्या इस तरह से माननीय सदस्यों को संदिग्ध रूप से देखना चाहिए था? मान्यवर, इसकी शिकायत मैं आपसे कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय वीर बहादुर सिंह जब से मुख्य मन्त्री हुए हैं, तब से ये कोई न कोई नया कार्य कराने का प्रयास करते आ रहे हैं, सचिवालय को घेराने का, और उसमें भी वह मुंह की खा गये और आज भी उसी तरह का कार्य किया है, जिससे माननीय सदस्यों का और आपका भी अपमान हुआ है। इसका समाधान मान्यवर, कैसे किया जायगा? क्या हम सदस्यों को नित्य अपने चरित्र की परीक्षा देनी होगी? इस सम्बन्ध में मैं मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सरन—

मान्यवर, जब से श्रीमान वीर बहादुर सिंह, मुख्य मन्त्री हुए हैं, तब से इनको नए-नए काम करने का शौक हो गया है। न जाने ये हम लोगों को क्या समझने लगे हैं ? हम चोर हैं, डकैत हैं, राहजन हैं क्या हैं ? हम लोगों को और इस प्रदेश को ये क्या समझने लगे हैं ? मान्यवर, इतनी तौहीन, इतना अपमान आज तक किसी भी मुख्य मन्त्री ने नहीं किया है, जितना इन्होंने किया है। मान्यवर, यह डेमोक्रेसी का मन्दिर है, यह लाल किला नहीं है और न आप मुगले आजम हैं और न आप नूरजहां हैं कि इतनी खूब-सूरत हैं कि आपको कोई छेड़ देगा।

मान्यवर, आप हमारे रक्षक हैं। आपको चाहिए कि हमारे जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करें। इन्हें आप समझाइए। एक इनके पीछे सलाहकार हैं। गवर्नर कहते हैं खेद प्रकट किया, वह कहते हैं नहीं किया। यह पता नहीं क्या बोल देते हैं. . . .

(हंसी)

मान्यवर, आप ही इन्हें समझाइए कि यह हम लोगों को इज्जत दें, सब लोगों से समान व्यवहार करें।

श्री अध्यक्ष—

राम सरन दास जी, हम आपके सब अधिकारों के रक्षक हैं, लेकिन जब हम आपसे कुछ कहते हैं, तो आप हमारी बात सुनते ही नहीं हैं।

(हंसी)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, शतरुद्र प्रकाश जी, गुप्ता जी ने और रामसरन दास जी ने जो बातें रखी हैं यह गम्भीर बातें हैं यह बात गम्भीर इसलिए हैं. . . .

(हंसी)

सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे वे हमेशा सत्ता में ही बने रहेंगे। मुझे तो वास्तव में इनका पागलपन नजर आ रहा है। मान्यवर, मुझे अफसोस है कहते हुए एक पत्र कल मैंने आपको लिखकर दिया था, उसमें लिखा था कि यहां पर पुलिस इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन आपके दफ्तर से कोई उत्तर नहीं मिला है। पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था आप मुझे पत्र लिखते। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि पुलिस इस्तेमाल नहीं की जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपको भी अधिकार नहीं था कि पुलिस को बाहर से मंगाकर इस्तेमाल करें।

मान्यवर, तीन दिन से ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरे देश पर चढ़ाई हुई है। मैं बाहर निकलता था तो देखता था कि छावनी लगी हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता था कि विदेशी दूसरे देश पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। मान्यवर पूरे देश की जनता में आज आतंक फैला हुआ है। सड़कों पर, गांव-गांव में, सब जगह आतंक फैला हुआ है। जो विधायक निर्भीकतापूर्वक अपनी बात रखना चाहते थे, उनको आतंकित करने की कोशिश की गयी। मान्यवर, विधान सभा की पवित्रता की सुरक्षा का दायित्व आपका है आप निर्भीकतापूर्वक कार्य करिए। सरकार के दबाव में आकर कार्य न करिये। मान्यवर, लेकिन आज साबित यह हो रहा है कि सरकार के दबाव में काम हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है, तो गेट क्यों बन्द हो रहे हैं ? विधायक निर्भीकतापूर्वक नहीं आ सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं आप अमर नहीं हैं. . . .

(शोर)

आप समझते हैं कि आप अमर हैं। मैं कहता हूं आप गलत परम्परायें न डालिये। पुलिस की वजह से आप एक प्रधान मन्त्री को खो चुके हैं। पुलिस ने प्रधान मन्त्री की हत्या की है। और आप माखौल कर रहे हैं। जब अंकुश नहीं रहेगा, पुलिस का मनोबल बढ़ता चला जायगा, धक्का-मुक्की करवायेंगे, विधायकों का कपड़ा फड़वायेंगे तो एक दिन ऐसा आयेगा जब आपके सीन पर गोली होगी

(व्यवधान)

जो मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, इसका नतीजा खतरनाक होगा.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपा करके शान्त रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना है कि

एक उदाहरण सीख लें, प्रेरणा लीजिए, पुलिस का मनोबल इतना मत बढ़ाइए, और विधायकों का इतना अपमान न कराइए। इस अपमान को कोई भी स्वाभिमानी सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि आप ऐतिहासिक पुरुष बनिए, सरकार के दबाव में काम न करिए। एसा जो रहा है, उस पर मुझे अफसोस है।

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी ने जो मेटल डिटेक्टर की बात कही है. . . .

(मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

माननीय नेता सदन क्षमा करेंगे, मैंने आपको देखा नहीं।

*मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

अभी माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जिस बात की तरफ संकेत किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक माननीय सदस्यों के सम्मान को बढ़ाने की बात है, मैं जितना माननीय सदस्यों का सम्मान बढ़ा सकता हूं, बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद आपने देखा होगा, 2–4 महीनों में माननीय सदस्यों का सम्मान बढ़ा है। जो यह बात कही गयी कि पुलिस की काफी व्यवस्था की गयी, मान्यवर, चूंकि विरोधी दल के नेताओं ने कहा था कि हम महामहिम राज्यपाल को यहां आने नहीं देंगे, घेराव करेंगे ऐसी हालत में व्यवस्था करना सरकार का काम था, सरकार की जिम्मेदारी थी जब कल इन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया तो सारी व्यवस्था बदल दी गयी। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं की गयी जिससे माननीय सदस्यों का असम्मान किया गया हो।

श्री अध्यक्ष—

श्री गुप्ता जी ने जो विषय उठाया है, मैं नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि वह पार्लियामेंट हाउस में जाकर देखें कि मैटल-डिटेक्टर कहां कहां लगा है। कोई माननीय सदस्य बाध्य नहीं है कि वह उस पर से जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यही तो मेरी शिकायत है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को बाध्य किया गया कि वह उसी में से निकले। हर विधायक के चरित्र पर सन्देह किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

किसी विधायक को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मैं खुद और चेयरमैन कौंसिल जब उस पर से उतरते हैं तो यह मेरे लिए या आपके लिए अनिवार्य नहीं है। दूसरी चीज विधान सभा के सदन के दरवाजों पर यह मेटल डिटेक्टर नहीं लगा है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

लगा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका जो सभा भवन है, उसके जो दरवाजे हैं, उस पर नहीं लगा है। इस विषय में कोई कठिनाई हो तो मैं हाजिर हूं। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

जहां तक माननीय सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने श्री खेर जी के समय की 1970 की समिति की रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकृष्ट किया, वह निर्णय सदन में पुलिस प्रवेश के निषेध के लिए है। श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय जब दोनों हाउस के मा0 सदस्य एक साथ बैठे हों तो वह सभा मण्डप होता है, सदन नहीं होता।

उसमें 12 बजे तक जो नियन्त्रण होता है, वह राज्यपाल का होता है और दूसरी चीज 75 मार्शल की भर्ती कौन सी की गई? मार्शल तो हमारे यहां के या काउन्सिल के होते हैं। इसमें 75 मार्शल की भर्ती का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसाकि अभी मा0 मुख्य मन्त्री जी ने कहा, आपकी इज्जत और सदन की इज्जत मेरी इज्जत है। इन शब्दों के साथ मैं आपकी सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, नियम 102 में मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिन मा0 सदस्यों को सदन की बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता रहा है, उनमें से श्रीहरि शंकर तिवारी और श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही. . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—
मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—
आप जो पढ़ रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1985†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय) (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हकुम सिंह)—
माननीय अध्यक्ष जो, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985†

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखती हूं।

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1985†

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1986†

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट—(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापा नहीं गया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखने में आपत्ति

*श्री राजेन्द्र गुप्त---

मान्यवर, इसमें मैंने लिखित रूप से अपनी आपत्ति दी है। यह मद संख्या-12 पर जो अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जाने वाला है, मेरी आपत्ति है इस काले अध्यादेश के बारे में कि वह सरकार की विधायिकी शक्ति की परिधि में नहीं आता है और सरकार ने जानबूझ कर अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से यह काला अध्यादेश जारी किया है। जिसका मैं अपनी पूरी ताकत से विरोध करता हूं। इसमें सरकार ने घोषणा की है कि जो बड़े गिरोह हैं, उनको समाप्त करेंगे। लेकिन सी0आर0पी0सी0 और मीसा जैसे कितने ही कानून ऐसे सरकार के पास हैं जिनसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने का अधिकार सरकार के पास है।

लेकिन सरकार की नियत नहीं है कि उन लोगों पर अंकुश लगाए, उनको जेल भेजे और उनके खिलाफ कार्यवाही करे क्योंकि सत्तारूढ़ दल का ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण प्राप्त है लेकिन जो आज यहां पर अध्यादेश रखने सरकार जा रही है, छद्म रूप से अपने राजनैतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए रख रही है। इस अध्यादेश के पृष्ठ 2 पर आप गिरोह शब्द की परिभाषा को देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है, 'गिरोह' शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित, राजनैतिक, आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या परिपीड़न करते हैं।

मान्यवर, आप राजनैतिक क्षेत्र में हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम लोगों में से हैं। अभी आप जानते हैं कि तेल, मिट्टी-तेल, डीजल, पेट्रोल और खाद्य वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गये, जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में और सत्तारूढ़ दल में भी असन्तोष व्याप्त है, जिसका विरोध करने के लिए हमें जनतन्त्र में अधिकार है। उसके लिए हम प्रदर्शन का तरीका अपनायेंगे, सभा का तरीका अपनायेंगे, इस प्रकार जनहित में किए गये कार्य को अनुचित बताकर हमारे खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार ने यह एक घृणित तरीका अपनाया है। इस बात को सही मानते हुए कि चुनाव के दौरान जनता से जो वायदे किए थे, उनको पूरा करने में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। आज पूरे प्रदेश में असन्तोष की ज्वाला फैली हुई है, वह असन्तोष मुखरित न हो पाये, इस काले अध्यादेश को यह सरकार ला रही है। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार के पास सी0आर0पी0सी0 है, नियमों के अन्दर ताकत है। इन सबके होते हुए भी इसकी सरकार द्वारा मांग करना इस सरकार की बदनियती का परिचायक है। यह इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आप इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की आज्ञा न दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, मुझे लगता हैकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने प्रतिद्वंदी मन्त्रियों को जेल में भेजने के लिए इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है। मान्यवर, मैं सबसे पहले आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 120 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है. . .

"ऐसा विवरण पटल पर रखा जायगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।"

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने हस्ताक्षर से जो कारण बताए हैं, उसमें इन्होंने लिखा है कि "अपराधिक क्रियाकलापों में निरन्तर वृद्धि से नागरिकों का जीवन और उनकी

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न हो गया था, इस खतरे का सामना करने के लिए वर्तमान उपाय पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाए गये।" जब आपकी पार्लियामेंट द्वारा नियम बनाया गया है और जिस पर आपका प्रभावी नियन्त्रण भी है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस अध्यादेश को पेश करने की आवश्यकता क्या है। एक ओर तो माननीय मुख्य मन्त्री जी भाषण करते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, लेकिन दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमारे पास जो कानून हैं, उन कानूनों से वर्तमान में आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार दो विसंगति वाली बात कहने से नियम 120 की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है।

मान्यवर, संविधान के अनुछेद 254(1) में भी इसकी व्यवस्था दी गयी है। इसमें लिखा है "यदि किसी राय के विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी विधि का कोई उपबन्ध संसद द्वारा बनाई गयी विधि के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबन्ध को या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के सम्बन्ध में विद्यमान विधि का किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खण्ड, ... मान्यवर इसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि अगर एग्जिस्टिंग ला है। इस पर तमाम रूलिंग भी आई है। मैं इतना ही कहना चाहता कि यह जो हमारा एग्जिसटिंग ला है, यह तो वही ला होगा जो संविधान लागू होने के पूर्व भी विद्यमान था। अब हमारा कानून आई0पी0सी0 है, सी-आर0पी0सी0 है। इसमें व्यवस्था दी हुई है कि अपराधी जो अपराध करते हैं, उनको किस प्रकार निरोधित किया जा सकता है। एक तरफ तो व्यवस्था है कि जो एग्जिसटिंग ला है, उसके अन्तर्गत उन अपराधी व्यक्तियों पर, जो अपराध करते हैं और जिनसे आप समझते हैं कि समाज को खतरा है, उनको दंडित करने का पूरा प्राविधान किया गया है। उससे परे जाकर, इसमें बहुत सी ऐसी दफाएं हैं, जिनमें जमानत भी हो जाती है, लोअर कोर्ट से नहीं हुई तो सेशन से हो जाती है, सेशन से नहीं हुई तो हाई कोर्ट से हो जाती है। उन सारी दफाओं पर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि एक स्पेशल न्यायालय होगा जिसमें मुकदमा चलायेंगे, दो साल तक निरोधित करेंगे. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय माता प्रसाद जी, अभी यह सदन के पटल पर रखा नहीं गया है। आपकी तो आपत्ति यह है कि सदन के पटल पर न रखा जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, वही तो मैं कह रहा हूं। धारा 254–(1) के अन्तर्गत यह अपने आप में असंवैधानिक है। संविधान की दूसरी दफाओं में जो विधायी शक्ति है, 254(1) के अतिरिक्त 256 देख लें। इसमें है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जायेगा जिससे संसद द्वारा बनाई गयी विधियों का और ऐसी विधियों का जो उस राज्य में लागू हों, अनुशासन सुनिश्चित रहे। इस प्रकार, इस अध्यादेश के प्राविधानों से संविधान की धारा 256 बाधित होती है। यह अध्यादेश अपने आप में असंवैधानिक है। अगर सदन के पटल पर रखकर पास भी करा लिया जाय क्योंकि इनका बहुमत है, माननीय मुख्य मन्त्री जी को खतरा हो गया है डाक्टर संजय सिंह से, अगर उनको बन्द ही करना है तो और भी बहुत सी दफाएं हैं, इसको लाने की क्या जरूरत थी? यह असंवैधानिक है, इसमें पर्याप्त कारण नहीं दिए गये हैं, इसलिए इसे सदन के पटल पर रखने की अनुमति न दें।

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जिनकी सूचनायें आई हैं, उन्हीं तक सीमित रखें। आपकी कोई सूचना नहीं आई है, आप बैठें।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह जो अध्यादेश है, यह भारतीय संविधान में दी गयी व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है. . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अध्यादेश अभी सदन के पटल पर रखा ही नहीं गया है. . .

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

इसलिए हो तो व्यवस्था मांग रहा हूं, इसे सदन के पटल पर रखा ही नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

*श्री लाल प्रताप सिंह—

कांस्टीटयूशन की धारा के अन्तर्गत कोई भी आर्डिनेंस जारी हुआ है, वह सदन के पटल पर रखा जायेगा, जब वह रखा जाये उस समय आप एतराज पेश कर सकते हैं लेकिन अभी यह कोई मौका नहीं एतराजात पेश करने का।

श्री अध्यक्ष—

श्री सूर्य प्रताप शाही जी बोल रहे थे, आप उनको अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं यही कह रहा हूं कि अभी इसमें बहस करने की मंशा नहीं होनी चाहिए और न इनको बहस करने के लिए मौका ही दिया जाना चाहिए। आपने 'राजनीतिक' शब्द पर जोर दिया तो मैं कहता हूं कि शब्द 'टेरेरिज्म' राजनीति में आता है। मैं एक चीज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतना वेल ड्राफ्टेड डाकूमेन्ट अभी तक मेरे सामने नहीं आया था जितना कि वेल ड्राफ्टेड यह है। मैं 6 साल से यहां हूं लेकिन यह सबसे पहला वेल ड्राफ्टेड डाकूमेन्ट है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं भी कुछ कहना चाहता हूं इस बारे में। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, कुछ तो आप मेरी सहायता कीजिए। अभी माननीय सूर्य प्रताप शाही जी बोल रहे थे, आप व्यवस्था उठा रहे हैं। व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं हो सकती है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं कह रहा था कि जो आपके एजेंडा में नं0—12 पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश के सदन के पटल पर रखे जाने की बात है और जोकि ऐजेंडा में भी छपा हुआ है, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गयी है उसके अन्तर्गत किसी को यह अख्तियार नहीं है कि इस तरह के अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा जाये। यह जो इस अध्यादेश के जरिए कानून बनाया जा रहा है तो इसके लिए हमारे यहां भारतीय दण्ड संहिता है। भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान के अन्तर्गत दी गयी है, और भी इस तरह की कई व्यवस्थायें हैं और जिनके अन्तर्गत कानून भी लागू हैं और जो कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मुख्य मन्त्री जी के द्वारा यह जो अध्यादेश प्रस्तुत किया जा रहा है, यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। राजनीतिक क्रियाकलापों पर प्रजातन्त्र में प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।

यदि इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो बिना अदालत के उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो भारतीय संविधान के अन्तर्गत दिए गये मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अधिनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसमें बन्द व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा कि साक्षी के साक्ष्य की प्रति-परीक्षा कर सके और न वह इसकी जानकारी भी हासिल कर पायेगा। इस तरह से यह भारतीय संविधान का उल्लंघन किया गया है इसके अतिरिक्त इतनी ज्यादा तादाद में अध्यादेश रखे जा रहे हैं, जो स्पष्ट करता है कि माननीय मुख्य मन्त्री को सरकार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं रह गया है। यह इस बात का द्योतक है कि इतने ज्यादा अध्यादेश लाकर आपकी मंशा जाहिर हो गयी है कि आपका विश्वास संविधान में नहीं है। सभी सदस्यों को जानकारी थी कि सदन आहूत किया जा चुका है। जब सदन आहूत किया जा चुका था तो 15 जनवरी को इस अध्यादेश को लागू किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है, जो इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि यह जो माननीय सदस्य इस सदन में आना चाहते थे, उनको इस सदन में प्रवेश न मिल सके। इस भावना के साथ इन्होंने इस विधेयक को रखा है, जोकि भारतीय संविधान के अध्याय 3 में दिए गये मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बात को यहां रख रहा हूं और मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसको वापस ले लें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपत्ति है। मैं, जो विचार अभी तक प्रकट किए गये हैं उनसे हटकर अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, डिमेरिट की बात नहीं कहना चाहता हूं, मेरिट नाम की बात तो इसमें है ही नहीं। मा0 मुख्य मन्त्री जी ने इसके द्वारा अपने हाथों से जनतन्त्र के गले को दबाने के लिए एक साजिश किया है। मेरी आपत्ति है कि मा0 मुख्य मन्त्री जी विधान सभा बुलाने से भाग रहे थे, इनकी इसमें अरुचि हो गयी है, वह चाहते हैं कि किसी को यहां पर बैठने का अवसर न मिले। जब महामहिम राज्यपाल के यहां पर धरना दिया गया तो वह इस राय के हुए कि 25 या 26 जनवरी से विधान सभा बुला ली जाय। परन्तु न जाने इसी बीच क्या हुआ कि गिरोह बन्दी वाला कानून, काला कानून का अध्यादेश आ गया, यह काला कानून वाला अध्यादेश 15 तारीख को आ गया। वह कौन सी बात हो गयी जो कि यह काला कानून आ गया। मान्यवर, जिस दिन इस विधेयक को टेबिल पर रखा जायेगा, मेरी दृष्टि से वह काला दिन होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बतायें कि आपकी क्या व्यवस्था है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही देख रहा था, इससे पूर्व मा0 सदस्यों ने व्यवस्थाएं उठायीं और आपने उन पर भी अपनी व्यवस्थाएं नहीं दीं। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन का संचालन, नियमावली जो बनी है उसके तहत होता है। मान्यवर, इस नियमावली के तहत और संविधान के तहत अगर कोई अध्यादेश पारित किया जाता है, तो उसे सदन के पटल पर इसलिए रखा जाता है कि वह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वह कार्य-सूची में आ सके और माननीय सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट कर जो विधेयक हैं, उनके बारे में प्राविधान है कि अगर विधान सभा की विधायनी शक्ति से परे होगा तो उसके पुरःस्थापन के समय मा0 सदस्य आपत्ति कर सकें। मान्यवर, अगर इसको रखने नहीं दिया जायगा तो उसका नतीजा यह होगा कि विधान सभा के जो मा0 सदस्य हैं वह इस पर अपने विचार रखने से वंचित हो जायेंगे। मान्यवर, आप को अधिकार है लेकिन नियमों के अन्तर्गत इस समय आप भी इसकी मेरिट पर विचार रखने के लिए किसी को अवसर नहीं दे सकते हैं। इसपर आप अपनी व्यवस्था दें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी बात तो अभी पूरी हुई नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, तो कम से कम मैं अपनी व्यवस्था तो दे दूं। जो अध्यादेश आया है, जब तक उसे पटल पर नहीं रखा जाता, उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

(नियमावली दिखाते हुए) यह अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह कह सकते हैं कि इसको पटल पर रखा न जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं डिस्कशन नहीं करता। बरार जी को कौन समझाए। मैं तो केवल नियमों की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि यह अध्यादेश ले नहीं हो सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। संविधान में स्पष्ट है कि जब विधान सभा हो, या उसके बुलाए जाने की प्रक्रिया में हो, तो कोई अध्यादेश ले नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह अध्यादेशों की सरकार है, यह प्रदेश अध्यादेशों के सहारे नहीं चलेगा। यह प्रदेश अध्यादेशों के बल पर नहीं चलेगा। देखिए मुख्य मन्त्री जी भाग गए।

सदन में पुलिस कर्मचारी के प्रवेश पर अव्यवस्था

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के भाषण के मध्य श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री मुहम्मद आजम खां तथा कुछ अन्य सदस्य एक व्यक्ति को पकड़कर सदन के अन्दर ले आए और यह कहने लगे कि सदन में पुलिस कर्मचारी आ गया है। कथित पुलिस कर्मचारी के सदन के फ्लोर पर लाए जाने पर अनेक सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित हो गयी। 1 बजकर 50 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन तीस मिनट तक और बढ़ा दिया है। पुनः 3 बजे सदन की कार्यवाही मा0 अध्यक्ष द्वारा 3 बजकर 45 मिनट तक और स्थगित किए जाने की सूचना डिप्टी मार्शल ने सदन में दी। तदुपरान्त 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

जो दुःखद घटना हुई उसकी जांच के उपरान्त यह पता चला कि 25 काउंसिल गार्ड डेपुटेशन पर दूसरे विभाग से लिए गए थे और इत्तिफाक से वह इधर आ गया और यह घटना घटी। सदन की भावना को देखते हुए जितने लोग डेपुटेशन पर (25 लोग) आए हैं, कल वापस कर दिए जायेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह सब किस विभाग से आए थे?

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

पुलिस विभाग से आये थे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मद संख्या–12, श्री ओझा जी।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, इस सिलसिले में मेरा एक निवेदन तो यह है कि इन्हें डेपुटेशन पर यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है अगर किसी वजह से आवश्यकता पड़ भी जाती है तो इस सभा मण्डप क्षेत्र में उनकी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए और दूसरे जहां से भी वे आए हैं, वह अपनी ही ड्रेस का इस्तेमाल करें और आपके गार्ड्स की पोशाक का इस्तेमाल न करें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखने में आपत्ति

(क्रमागत)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन, मैं यह निवेदन कर रहा था और मेन आपत्ति हमारी यही थी कि यह सरकार लगातार हमारे विधायी अधिकारों पर हमला करती चली जा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह आदरणीय सदन का सत्र प्रारम्भ होने की स्थिति में था और यह निर्णय हो चुका था कि जनवरी की 25–26 की तारीखों से प्रारम्भ होगा। इसे अखबारों ने भी छाप दिया था। परन्तु मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वह कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक हफ्ते के अन्तराल में सरकार के सारे कायदे कानून धरे के धरे रह गए और यह सब कुछ जो आपने किया यह सब जनतन्त्र विरोधी ही नहीं बल्कि हम सबके मौलिक अधिकारों का हनन है, संवैधानिक परम्परा के विपरीत है और आदरणीय सदन के अधिकारों को छीनने वाला है। एक मान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीय सदस्य ने इस पर जो अपना भाषण दिया। वह नहीं होना चाहिए, लेकिन वह दे गये, वकील हैं। यह अध्यादेश आज जो जारी हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं मान्यवर कि शासन की नीयत इस मामले में साफ नहीं है। यह एक सोची-समझी विपक्ष के लिए साजिश कर रहे हैं इनके काले कारनामों का पर्दा-फाश हो चुका है। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं, हमारी सुरक्षा आप पर निर्भर है और इस काले कानून को जो हमारे अधिकारों पर हमला करता हो, जो संविधान पर कुठाराघात करने वाला हो। मान्यवर, हम भोग चुके हैं।

इसके पहले जब मीसा आया था और रेटीफिकेशन के लिए यहां पर पेश हुआ था तो उसमें हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि यह कानून अपराधियों के लिए नहीं है। यह कानून इधर बैठने वाले लोगों के लिए और जिन्होंने हमको यहां पर बैठने के लिए अवसर दिया है यह कानून उनके लिए है। अगर यह टेबिल हो गया तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी।

मैं दृष्टान्त देना चाहता हूं। अभी कानपुर में श्रमिकों के सर्वमान्य नेता को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच गोरखपुर के ऐसे लोगों ने जो उधर बैठने वाले लोगों से सम्बन्धित हैं लाखों ही नहीं करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित की है। हिम्मत हो और साहस हो तो जो माल उन्होंने जमा किया है, मेरी खुली चुनौती है कि उसकी जांच हो जाय। हमने कितनी सम्पत्ति अर्जित किया है और उन कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों ने कितनी सम्पत्ति अर्जित किया है किसी रिटायर्ड जज से, सारे मामले की जांच होनी चाहिए। ताकि इस प्रदेश की 13 करोड़ जनता जान सके कि आखिर इस काले कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। कौन सा भूचाल आ गया और कौन सा बवंडर आ गया जो यह काला कानून लाया जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ताहै कि अगर यह काला कानून आज टेबिल हो गया तो प्रदेश के इतिहास में, जनतन्त्र के इतिहास में, जम्हूरियत के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ेगा। इसलिए मैं विनम्रता-से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रदेश की 13 करोड़ जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा हूं और साथ ही साथ संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उनका तकाजा है. . . .

(शोर)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, कौन सा कानून है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं इनको पढ़ाने नहीं आया हूं। इनको निर्देश दीजिए कि नियमावली को पढ़ें और संविधान को पढ़ें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके, मेहरबानी करके, आप लोग बैठ जायें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह बच्चे लोग हैं। अभी तो इब्तिदा है, पहला दिन है क्यों इनकी परेशानी बढ़ रही है।

(शोर)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, यह किस पर चर्चा हो रही है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

बैठिए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

ओझा जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह बकवास कर रहे हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

ओझा जी, कृपया अपनी बात आप खत्म करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने संविधान की धाराओं की दुआई दी है।

(घोर व्यवधान एवं मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय---

यह निन्दनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

ऐसे हाउस कैसे चलेगा। आप कृपा करके बैठ जायं। ओझा जी आप अपनी बात खत्म कर दीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

अफसोस की बात यह है कि जिस काम के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल उसमें नहीं होगा।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, इस आदरणीय सदन के चलाने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, चाहे इस पक्ष के हों या उधर के तो क्या उन्हें बैठाने की जिम्मेदारी आप पर है या किसी दूसरे सदस्य पर है। अभी माननीय ओझा जी बोल रहे थे। इधर के एक माननीय सदस्य (कानपुर) ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उस पर ओझा जी ने आपके सामने डांटा और डांट कर इंगित किया कि बैठिए। क्या ओझा जी का आचरण संसदीय था। अगर नहीं था तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसी बात न होने पाए कि जिससे किसी सदस्य को तकलीफ हो।

(घोर व्यवधान)

माननीय ओझा जी, आप अपनी बात समाप्त कर लें।

(घोर व्यवधान)

कृपा करके आप लोग शान्त रहिए।

(घोर व्यवधान)

अगर यही व्यवस्था रही, तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। कृपा करके आप लोग शान्त रहिए।

(घोर व्यवधान)

ओझा जी, आप अपनी बात खत्म कर लें।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं मान्यवर, व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि आपने माननीय ओझा जी को बोलने की इजाजत दिया। वह जिस समय बोल रहे थे, उस समय सत्ता पक्ष की ओर से बड़े जोर-शोर से शोरगुल किया जा रहा था।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठिए।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर आप सत्ता पक्ष के कृत्यों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं देना चाहते हैं, यह कोई बात हुई, मान्यवर ?

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह लोग ताली बजायेंगे, नाचेंगे, गायेंगे, मैं अपनी बात कहता रहूंगा आपने इजाजत हमको दिया है, श्रीमन्। मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर हमारे और इनमें थोड़ा अन्तर है। ये सरकार चलाने आए हैं और मैं उस पर अंकुश लगाना चाहता हूं।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं लिखा जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

विश्व के किसी प्रजातांत्रिक इतिहास में ऐसा नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

ओझा जी, आप कृपा करके बैठिए।

(घोर व्यवधान)

नोट---[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधान सभा सत्र शुरू होने पर पटल पर रखा जायगा। हमारी कार्य संचालन नियमावली के नियम 120 में भी इसी आशय का उल्लेख है। इसलिए इसको पटल पर रखा जाना संवैधानिक अनिवार्यता है। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा उठाई गयी आपत्ति को निरस्त करता है।

(मद संख्या 12 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान।)

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री विजय सिंह राणा एवं अन्य कई विरोध पक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारा लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हं।

(4 बजे सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित हुई। 4 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट तक और स्थगित किए जाने की सूचना डिप्टी मार्शल ने सदन में दी। 4 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए और स्थगित कर दी। तदुपरान्त 4 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के समापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आप और हम सब संविधान के तहत यहां पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज यहां पर जो अध्यादेश पेश किया जा रहा है, इस पर मेरी आपत्ति है। इस सदन को यह विधेयक पेश करने की शक्ति ही नहीं है। जो कानून पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है और जो प्रचलित विधि है। संविधान के अनुच्छेद 113 को आप देखें। आई0पी0सी0 सी0आर0पी0सी0 व अन्य नियमों को इसमें शामिल कर दिया गया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह अध्यादेश बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, इसे आप सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान न करें। आज हम लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत पुलिस से ही है। आज की पुलिस 100 साल पहले की पुलिस से कहीं ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। अंग्रेजों ने जब आई0पी0सी0 बनाई थी तो उन्होंने भी इस बात की व्यवस्था की थी कि पुलिस कस्टडी में लिया गया बयान अदालत में नहीं माना जायगा। लेकिन आज आप इस अध्यादेश के द्वारा पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार देने जा रहे हैं। इसके बाद वह किसी भी सही या गलत आदमी को पकड़ सकती है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। और हम उसके खिलाफ डिफेमेशन का सूट भी फाइल नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह अध्यादेश बिल्कुल अमर्यादित है और अलोकतांत्रिक है। मीसा का प्रयोग भी राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया था और इस अध्यादेश का प्रयोग भी राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ किया जायगा। मीसा में तो राजनैतिक शब्द नहीं था, लेकिन इसमें राजनैतिक शब्द लगा दिया गया है। जो संविधान और जन भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। मैं यह समझता हूं कि जनता का विश्वास सरकार पर नहीं रह गया है। आज पूरे प्रदेश में आतंक फैला हुआ है इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान नहीं करें।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, यदि इस काले अध्यादेश को आज सदन के पटल पर रखने की अनुमति मिलती है तो मैं समझता हूं कि इस सम्मानित सदन के गरिमामय इतिहास में और लोकतन्त्र के इतिहास में यह एक काला दिन होगा।

मान्यवर, गवर्नमेंट के पास आई0पी0सी0 सी0आर0पी0सी0, रासुका जैसे व्यापक अधिकार हैं यदि वह चाहें तो असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगा सकते हैं। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका यह कहना बिल्कुल सही नहीं मानता हूं कि जो अधिकार हमारे पास थे, वे पर्याप्त नहीं हैं इसलिए इस अध्यादेश को लागू करने की आवश्यकता पड़ी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रदेश में दरोगा का राज्य चल रहा है। इस अध्यादेश के द्वारा एक प्रकार से इस प्रदेश के अन्दर अघोषित आपात-काल लागू होने जा रही है।

यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन करने का एक अध्यादेश है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है "राजनैतिक"। हालांकि इसमें कई शब्द और लिखे हुए हैं जिन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी तक तो यह चिन्ता रहती थी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस अध्यादेश के द्वारा राजनैतिक शब्द का प्रयोग करके खुली छूट दी जा रही है ताकि पुलिस एड-मिनिस्ट्रेशन पालिटिक्स में इन्टरवीन करे। यदि ऐसा ही हुआ तो एक दिन खाकी वर्दी पहने हुए ही लोकतन्त्र चलेगा। 2–3 दिन से हम भी देख रहे हैं कि यह परिसर भी पुलिस की छावनी बन गयी है। यह एक काला अध्यादेश है, इसे आप सदन के पटल पर रखने की अनुमति नहीं दें। यदि आप इसकी अनुमति देते हैं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा कि मैं और मेरा दल इसका बहिष्कार करे और सदन का त्याग करे।

श्री कौशिक रमाशंकर––

मान्यवर, दो बातों की ओर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि यह जो अध्यादेश है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और जो जनतन्त्र की आस्थाएं हैं, उसके यह विपरीत है।

दूसरी बात यह है कि यह अध्यादेश उस समय सरकार के द्वारा लाया गया जबकि एसेम्बली बुलाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। अध्यादेश को रखने के लिए नियम बने हुए हैं और संविधान में अध्यादेश लाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं कि जब एसेम्बली चल रही हो तब नहीं रखेंगे। ऐसी स्थिति में यह अलोक-तांत्रिक होगा अगर अध्यादेश को पटल पर रखने के लिए अनुमति देंगे, अन्यथा यह सदन के पटल पर न रखे जाने पर स्वयं समाप्त हो जायगा और जो काला काम इस सरकार ने किया है, उससे वह बरी हो जायगी। यदि यह अनुरोध नहीं माना गया तो मैं और मेरा दल इस काले अध्यादेश को और अनुचित अध्यादेश को, जो गलत समय पर लाया गया था, उसका सदन के पटल पर रखा जाना, देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे और सदन से बहिर्गमन करेंगे।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह––

जो काला अध्यादेश रखने का प्रयास किया जा रहा है, मैं अपने दल की ओर से सख्ती से उसका विरोध करता हूं। इसका मतलब होगा कि कोई राजनैतिक गतिविधि नहीं हो पायेगी और प्रदेश में पुलिस राज्य कायम हो जायगा। लोकतन्त्र समाप्त हो जायगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की अनुमति न दें यदि आप यह अनुरोध नहीं मानेंगे तो अपने दल के सदस्यों के साथ मैं इस सदन का बहिष्कार करूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह––

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे अन्य सम्मानित नेतागणों ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। आप देखेंगे कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में कोई भी अच्छी सरकार अध्या-देशों के द्वारा नहीं चलती है। जितने ही ज्यादा अध्यादेश जो सरकार लाती है, वह उतनी ही अच्छी सरकार नहीं मानी जाती। उधर बैठे हुए जो मित्र हैं, जो शासन में हैं, आज दर्जनों अध्यादेश यह सरकार लागू कर रही है। वह भी हैं जो पिछले सदन में आए थे उस समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने और तमाम मन्त्रियों ने आश्वासन दिया था कि अगली बार यह अध्यादेश के रूप में नहीं आयेंगे। जैसे स्वायत्त शासी निकायों के चुनाव होने थे, आज तक सरकार नहीं करा पाई, सहकारिता के चुनाव होने थे, नहीं करा पाई। आज अध्यादेश के रूप में पुनः पुनर्स्थापित किए गये हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देशित करें कि एक तो 90 दिन का सदन बुलाया जाय और दूसरे कम से कम अध्यादेश इस सदन में लाए जायें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा माननीय ओझा जी ने कहा कि जब सदन आहूत करने की बात थी तब यह अध्यादेश लाया गया। वर्ष 1975 में जब 'मीसा' का बिल लाया गया था, वह काला बिल था, उसी तरह से आज जो दूसरा अध्यादेश लाया गया है, इसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा। सरकार कितना भी चाहे इसका दुरुपयोग रोक नहीं पायेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देशित करें कि इसको सदन के पटल पर न लायें। अगर यह सरकार लायेगी तो मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जब मन्त्रि मण्डल ने विधान सभा सत्र को आहूत करने की सिफारिश कर दी, उसके बाद अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद मन्त्रि मण्डल की सिफारिश पर तीन बार विधान सभा की तारीख तय हुई। पहले तय हुआ अन्तिम सप्ताह जनवरी, उसके बाद पहली फरवरी और उसके बाद 6 फरवरी। यह कोई सरकार है, क्या फैसला करते हैं? और फिर जब विधान सभा बुलाई जा रही है तो कोई अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी, आपको बिल लाना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। जब-जब रासुका और मीसा लागू हुआ है, हम लोगों ने इसका विरोध किया है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि राजनैतिक उपयोग नहीं किया जायगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि 1975 में आपने इसे लागू किया था तो उसका क्या परिणाम आप को मिला। जनता ने इनको बाहर निकाल कर फेंक दिया।

इसमें माफिया ग्रुप का भी जिक्र है कि यदि कोई चुनाव में गतिरोध उत्पन्न करेगा उसके भी विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी। सरकार के इरादे से मुझे एतराज है क्योंकि बिजनौर में चुनाव के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री ने और संसदीय कार्य मन्त्री ने मतदाताओं को आतंकित किया है। उसमें यह है कि जो संरक्षण देगा, तो मैं कहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी को संरक्षण देने वाले हैं राजीव गांधी, तो उनको भी जाना चाहिए? संसदीय कार्य मन्त्री जी को मालूम नहीं संरक्षण देने वाला कौन है? तो उसको भी जाना चाहिए। उनका इरादा सही नहीं है, यह साबित हो गया है कि जब "रास्ता रोको" आन्दोलन चला तो इटावा के जिलाधिकारी ने विज्ञप्ति निकाली है कि जो इस आन्दोलन में हिस्सा लेगा उसके विरुद्ध रासुका का इस्तेमाल किया जायगा। कानपुर की पुलिस ने तो इसका इस्तेमाल भी किया है। कानपुर के डी0 एम0 से जब कई राजनेता मिले तब जाकर उन्होंने उसे वापस लिया। माननीय कृषि मन्त्री के जिले के ये डी0एम0 हैं पर अब इनका इरादा ठीक नहीं है।

इस अध्यादेश के माध्यम से लोगों को आतंकित किया जायगा जोकि राजनीति के विरुद्ध होगा। जो लोग सत्ता में होंगे यदि उनको विरोधी पक्ष से कुछ नाराजगी हो गयी तो उनके विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया जायगा। राजनीति के अन्दर जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून से ऊपर उठकर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको इससे और बल मिलेगा, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए।

यदि आपका इरादा सही है तो इस अध्यादेश को जारी करने से पहले आप उत्तर प्रदेश के माफिया गिरोह की सूची को प्रकाशित करिए कि माफिया गिरोह में कौन-कौन लोग हैं? यह बतलाना चाहिए, लेकिन इनका इरादा साफ नहीं है। यदि इरादा साफ है तो पहले आप माफिया गिरोह की सूची को प्रकाशित करिए. इससे सदन के लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में सरकार का इरादा साफ है या नहीं? जब-जब इस सदन में अध्यादेश आए हैं हम सबने उन्हें पास किया है लेकिन इस अध्यादेश के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस कानून की जरूरत है ही नहीं। इसके लिए पहले से ही सख्त और कड़े कानून हैं। जब उन कानूनों का पालन आप नहीं करा पायेंगे तो यह निकम्मी सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए यहां एक काला अध्यादेश ले आई है।

यह सरकार निकम्मी है जो कि पहले से ही बने हुए सख्त कानून का पालन नहीं करा पा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश की जनता आज आतंकित है इसलिए यह काला अध्यादेश सदन के पटल पर नहीं आना चाहिए। यदि आप इसे सदन के पटल पर लायेंगे तो हम इसका वहिष्कार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह---

सम्मानित नेता विरोधी दल ने....

श्री देव कुमार यादव---

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। आपने जो बड़े विरोधी दल हैं, उनके नेताओं को सुना परन्तु जो छोटे दल हैं उनके नेताओं को अवसर नहीं दिया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि छोटे दलों के नेताओं को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

यह बात तो तय हो चुकी है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.

श्री अध्यक्ष---

आप अव्यवस्था न पैदा करें।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

कितनी व्यवस्थायें होंगी। ऐसे तो अव्यवस्था हो जायगी। मा0 संसदीय कार्य मन्त्री जी आप अपना भाषण जारी रखें।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, आज की चर्चा केवल इस बात तक सीमित थी कि इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा जायेया न रखा जाय। इसकी स्थिति संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है। संविधान की धारा 213 में हमारा उत्तरदायित्व है कि सदन के प्रथम दिन जितने भी अध्यादेश हैं, जो जारी हुए हैं, उनको पटल पर रखा जाय और अगर उनको नहीं रखा जाय गा तो हम संविधान की धाराओं के दोषी माने जायेंगे। मान्यवर, अभी दो-चार बिन्दु उठाए गए हैं, उनके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, एक आशंका व्यक्त की गयी है कि इसका दुरुपयोग किया जायगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग किसी प्रकार से नहीं किया जायगा, इसका सही उपयोग करने के लिए इसको जारी किया गया है। जो राजनैतिक व्यक्ति हैं और जो शान्तिप्रिय लोग हैं उनके हित को देखते हुए इसको लाया गया है, ताकि वह शान्ति से रह सकें। तलवार, बन्दूक या राइफल के आधार पर पैसा न कमा सकें और राजनीति को दूषित होने से बचाया जाय। राजनीति को पवित्र करने के लिए इसको लाया गया है। यह विधेयक उन लोगों के लिए लाया गया है, जो गिरोहबाज हैं और सामान्य कानून की परिधि से बाहर होकर अपने गिरोह का लाभ लेना चाहते हैं, उनको नियन्त्रित करने के लिए इसको लाया गया है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए लाया गया है, जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसी को निभाने के लिए इसको जारी किया गया है। इसलिए आप इसको सदन के पटल पर रखने की अनुमति दें।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986†

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)---

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव---

आप नहीं मानते हैं, तो हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री मुलायम सिंह यादव सभी विपक्ष के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

(श्री देव कुमार यादव वेल आफ दि हाउस में आए और एक कागज फाड़कर वहीं फेंक कर सदन त्याग कर चले गए।)

बरेली नगरमहापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983†

नगर विकास राज्य मन्त्री

(श्रीमती पदमा सेठ)---

मा0 अध्यक्ष महोदय, नगर विकास अनुभाग -9 की अधिसूचना सं0 5185-बी/11-9-83-267-82 दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के

†छापी नहीं गयी।

साथ प्रकाशित बरेली नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983, जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 3 सितम्बर, 1985 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

मेरठ नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983*

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना सं0 5186-बी/11-9-83-267-82, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित मेरठ नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983, जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 3 सितम्बर, 1985 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959, की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

गोरखपुर नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 5187-बी/11-9-83-267-82, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित गोरखपुर नगर महापालिका चुंगी सीमा नियमावली, 1983, जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 3 सितम्बर, 1985 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका, अधिनियम 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आप की आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 4 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था। राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिससे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 सितम्बर, 1985 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पारित किया था और जो विधान परिषद् से दिनांक 10 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त

*छापी नहीं गयी।

शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 सितम्बर, 1985 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पारित किया था और जो विधान परिषद् से दिनांक 5 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1985 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 सितम्बर, 1985 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पारित किया था और जो विधान परिषद् से दिनांक 11 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1985 का उत्तर प्रदेश का अठाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 सितम्बर, 1985 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पारित किया था और जो विधान परिषद् से 11 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1985 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 सितम्बर, 1985 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पारित किया था और जो विधान परिषद् से दिनांक 10 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1985 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 सितम्बर, 1985 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पारित किया था और जो विधान परिषद से दिनांक 5 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1985 का उत्तर प्रदेश का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे

प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 14 अक्तूबर, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 फरवरी, 1986 की बैठक में सदन के दिनांक 6 फरवरी, 1986 से 16 फरवरी, 1986 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है--

फरवरी, 1986

6 गुरुवार	12.30 बजे अपराह्न 1--श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना। 2--औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि। निधन के निर्देश।
7 शुक्रवार 8 शनिवार 9 रविवार	बैठक नहीं होगी।
10 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन)।
11 मंगलवार	अपराह्न 5 बजे तक--श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (दूसरा दिन)। (5 बजे अपराह्न--वित्तीय वर्ष 1985-86 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण)।
12 बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन)।
13 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
14 शुक्रवार	अपराह्न 5 बजे तक वित्तीय वर्ष 1985-86 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। (5 बजे अपराह्न--वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण)।
15 शनिवार 16 रविवार	बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री ने जो प्रस्ताव कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश का रखा है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आज अभी माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित करीब ढाई सौ अधिवक्ता गिरफ्तार हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री भगौती सिंह--

डेढ़ महीने से अदालतें बन्द हैं, अदालतों में काम नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि

चूंकि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे,

और चूंकि उक्त समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है,

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय;

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्तमान सत्र के अनुवर्ती सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे;

और चूंकि उक्त समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है,

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्तमान सत्र के अनुवर्ती सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ाया जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल दिनांक 7-2-1986 को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
6 फरवरी, 1986।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 4 पर।)

माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के वर्ष 1986 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद से आपको सम्बोधित करने के इस पहले अवसर पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति तथा प्रदेश के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में तीव्रगति से अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन स्वच्छ हो और लोक सेवक निष्ठा और ईमानदारी के साथ तत्परता से कार्य करें। जनता को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए मेरी सरकार का दृढ़ संकल्प है। प्रशासन को अधिक चुस्त और कुशल बनाने के लिए मेरी सरकार ने विकेन्द्रीकरण की नीति पर विशेष बल दिया है। विकास कार्यक्रमों तथा विभिन्न विभागों की सेवापूर्ति प्रणाली (सर्विस डिलीवरी सिस्टम) के सफल कार्यान्वयन में मण्डल स्तर के अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दृष्टि से मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि मण्डलायुक्तों को विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व सौंपा जाय। मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग तथा उनके लिए निर्धारित लक्ष्य नियत समय के अन्दर पूरे कर लिए जायें और विभिन्न कार्यक्रमों, सेवाओं और सुविधाओं का लाभ जनता तक वास्तव में पहुंच रहा है।

राज्य की प्रगति के लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य में कानून और व्यवस्था सुदृढ़ हो और सभी नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना हो। मेरी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। प्रदेशीय पुलिस ने विभिन्न अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्प्रदेशीय दस्यु दलों का उन्मूलन करने में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की है। मेरी सरकार अपराधों की रोकथाम के लिए सचेष्ट है। गिरोहबन्द अपराधियों की अतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक अध्यादेश भी प्रख्यापित किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में पच्चीस नए थाने खोलने का भी प्रस्ताव है। उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेषज्ञ इकाई स्थापित की जा चुकी है। साम्प्रदायिकता की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। तथा उन क्षेत्रों में अभिसूचना तन्त्र को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए अभिसूचना विभाग में विशेषज्ञ इकाइयों की स्थापना की जा रही है। पुलिस ने पंजाब तथा असम आदि में सामान्य निर्वाचन के कार्य को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने में सराहनीय कार्य किया है। प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित जनता के जान-माल की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी हमारे जवानों ने प्रभावी ढग से किया है। पी0ए0सी0 की बाढ़ प्रशिक्षित कम्पनियों के लिए आधुनिक बाढ़ उपकरण एवं साज-सज्जा की व्यवस्था शीघ्र ही की जा रही है। पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिससे पुलिसकर्मी जन वर्तमान समय की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मेरी सरकार के प्रयास और किसान भाइयों के परिश्रम और सहयोग के फलस्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष दैवी आपदाओं से व्यापक हानि होने पर भी खरीफ की फसल में निर्धारित लक्ष्य से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। चावल की उत्पादकता में वृद्धि हेतु धान की सामूहिक नर्सरी लगाने की एक वृहद योजना कार्यान्वित की गयी है। प्रदेश में 24 जनपदों के 102 विकास खण्डों में चावल उत्पादन बढ़ाने की विशेष योजना कार्यान्वित की गयी, जिसके अन्तर्गत कृषकों को धान का बीज, सामुदायिक नर्सरी, जिंक सल्फेट, कृषि यन्त्रों, कीटनाशक दवाइयों पर अनुदान की सुवि

उपलब्ध कराई गयी। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 80 लाख टन से अधिक चावल का उत्पादन हुआ, जो एक कीर्तिमान है। रबी के लिए 212 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 1986–87 में 334 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। आलू उत्पादन में हमारे राज्य ने देश के कुल उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत आलू उत्पन्न कर भारतवर्ष में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। आलू उत्पादन, भण्डारण एवं विपणन में शीतगृहों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके विस्तार पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। शाक-भाजी की उत्पादकता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को शाक–भाजी के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी कार्यक्रम है। इस वर्ष से किसानों के लाभ के लिए एक नई फसल बीमा योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत खरीफ में धान, मक्का, मूंगफली तथा उरद और रबी में गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही तथा सरसों ली जा रही है।

मेरी सरकार ने इस वर्ष लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे 50 प्रतिशत दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना, दलहन व तिलहन के मिनी किट का निःशुल्क वितरण, उन्नतिशील कृषि उपकरण के उपयोग हेतु अनुदान, बाढ़ प्रभावित जनपदों के सभी ग्रामों में गेहूं के बीज का 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण, विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत कृषि निवेशों पर वित्तीय सहायता, ऊसर भूमि सुधार हेतु 3 हेक्टर से कम जोत वाले कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान, गोमती नदी के जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्यों पर अनुदान, आदि। भूमि संरक्षण एवं ऊसर भूमि सुधार के क्षेत्र में भी मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस वर्ष भीषण बाढ़ से भूमि संरक्षण कार्यों से उपचारित भूमि भी प्रभावित हुई जिसके रख-रखाव एवं कृषकों को राहत पहुंचाने के लिए पांच करोड़ रुपया स्वीकृत किये गये हैं। कृषि उत्पाद के विपणन के सम्बन्ध में मेरी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। विपणन क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश को विजयश्री (शील्ड) प्रदान की गयी है।

यद्यपि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है फिर भी मेरी सरकार औद्योगिक क्षेत्र में भी अपना प्रमुख स्थान बनाने के लिए कटिबद्ध है। औद्योगिक विकास के लिए अपनायी गयी नीति और प्रदत्त सुविधाओं के फलस्वरूप राज्य में औद्योगीकरण का अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। समस्त विकास खण्डों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष एक मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय सरकार की अवस्थापना उपादान योजना के अन्तर्गत पूरे देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने अपने दो जिलों कानपुर देहात और फतेहपुर के विकास के सम्बन्ध में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया से स्वीकृति प्राप्त की है।

प्रदेश के भारी उद्योगों की स्थापना में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। गैस पर आधारित चार बड़े उर्वरक कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और सलीमपुर (अलीगढ़) में ऐरोमेटिक्स काम्प्लेक्स आठ सौ करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने हेतु आशय-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्योग है। इस वर्ष बुनकरों के कल्याण हेतु सामूहिक बीमा तथा बचत योजना प्रारम्भ की गयी है। मेरी सरकार उच्च टेक्नालाजी के क्षेत्र में अत्यन्त तीव्रगति से प्रगति का प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रानिक्स इकाइयां पश्चिमी क्षेत्र व पर्वतीय क्षेत्र में लगाई जा रही हैं और अब पूर्वी क्षेत्र और बुन्देलखण्ड में भी लगाई जायेंगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख लघु उद्योगों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की उपलब्धि के लिए प्रदेश में लगभग 20,000 उत्साही एवं प्रशिक्षित उद्यमी तैयार करने की योजना बनाई गयी है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिए एक उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना एक शीर्ष संस्था के रूप में की जाय तथा वर्तमान में कार्यरत खादी, ग्रामोद्योग एवं ग्रामीण शिल्प में विभिन्न स्तरों

पर तकनीकी सुधार किया जाय। इस हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समन्वय, प्रचार एवं प्रसार समिति की स्थापना की जायगी जो विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से नवीनतम तकनीक का प्रचार एवं प्रसार ब्लाक एवं ग्राम स्तर के उद्यमियों तक करेगी। इसी प्रकार ग्रामीण एवं नगरीय शिल्पियों के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, उत्तर प्रदेश चर्म विकास निगम एवं उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर निगम के शो-रूमों तथा खादी बोर्ड के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से विपणन सहायता उपलब्ध कराते हुए उनका विकास किया जा रहा है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप प्रदेश का निर्यात भी लगातार बढ़ा है। भारत सरकार के निर्देश पर चल रही स्वतः रोजगार योजना एवं शहरी दुर्बल वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी योजना अगले वर्षों में भी प्रभावी रूप से चलाई जायगी।

मेरी सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्राविधिक शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व को दृष्टि में रखते हुए आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास कर रही है। वर्ष 1985–86 में गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जिले में एक-एक इंजीनियरिंग कालेज और हरदोई तथा नैनीताल जिलों में एक-एक राजकीय पालीटेक्निक स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष में बुन्देलखण्ड में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक प्रगति में श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में वर्ष 1985 में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में अच्छी रही और अपेक्षाकृत कम मानव दिवसों की हानि हुई। श्रम अधिनियमों के प्रशासन की दिशा में अधिक प्रभावी कार्यवाही की गयी। बाल श्रमिकों की समस्याओं पर और बन्धुवा श्रमिकों के पुनर्वासन दिशा में भी मेरी सरकार ने प्रभावी कार्यवाही की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों के सेवायोजन में वृद्धि के उद्देश्य से 45 शिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्रों के माध्यम से उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें उचित मजदूरी दिलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 62 अनुसूचित नियोजनों में से 40 योजनों में न्यूनतम मजदूरो का पुनरीक्षण/निर्धारण किया गया है ताकि वे गरीबी की रेखा से ऊपर रहें।

बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था के सरलीकरण और करापवंचन को रोकन की दिशा में मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सतर्कता के फलस्वरूप इस वर्ष जांच चौकियों द्वारा पकड़े गए माल की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। करापवंचक तत्वों से निपटने के लिए ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों का मिलान कम्प्यूटर द्वारा कराया जा रहा है और दोषी वाहनों के स्वामियों और ट्रांसपोर्टर्स के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में गन्ना और चीनी के सन्तुलित उत्पादन की आवश्यकता के सम्बन्ध में मेरी सरकार जागरूक है। गन्ना कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल दिलाने के लिए पेराई सत्र 1985–86 में पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश के लिए 24 रुपए प्रति क्विंटल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 23 रुपए प्रति क्विन्टल की दर से भुगतान किए जाने का परामर्श चीनी मिलों को दिया गया है। गन्ना उत्पादकों को 31 दिसम्बर, 1985 तक 326 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। जो वर्ष 1984–85 में उनको देय धनराशि के 99 प्रतिशत से भी अधिक है।

राज्य में वनों की कमी को दूर करने के लिए वृक्षारोपण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परती भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को विभागीय कार्य-कलापों तक सीमित न रखकर इसे एक जनआन्दोलन के रूप में चलाए जाने की दिशा में कई कदम उठाए गये हैं। ग्रामसमाज तथा पंचायत की भूमि पर निर्धन वर्ग के लाभार्थियों को वृक्ष लगाने के लिए पट्टे दिए जायेंगे और वे अपने द्वारा लगाए गये वृक्षों के उत्पाद का उपयोग कर सकेंगे। विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली सामाजिक वानिकी प्रयोजना का द्वितीय चरण 1985 से आरम्भ हो गया है और इसको राज्य के समस्त 49 मैदानी जनपदों म

चलाया जा रहा है। अन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में भी मेरी सरकार पूरी तरह जागरूक है और देहरादून, सहारनपुर तथा गढ़वाल के पशु बिहारों व अन्य कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

पर्यावरण सुधार तथा जल और वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में मेरी सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलों जैसे बद्रीनाथ, देवाशरीफ, बिठूर, अयोध्या एवं ब्रजभूमि परिक्रमा के पर्यावरण सुधार हेतु योजनायें प्रारम्भ कराई जा रही हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने की योजना के अन्तर्गत, प्रमुख नगरों में गंगा-तटों का पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से खोली गयी उचित दर की दुकानों में वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने का सतत् प्रयास किया जाता रहा है। वर्ष 1985–86 में उचित दर की 2,600 से अधिक नई दुकानें खोली जा चुकी हैं तथा और भी खोली जा रही हैं। समेकित जन-जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गत दिसम्बर से एक रुपया 50 पैसे की रियायती दर पर गहूं तथा एक रुपया 85 पैसे प्रति किलों की दर पर चावल वितरित कराए जाने की योजना लागू कर दी गयी है। अन्य अनुसूचित जन-जाति बाहुल्य क्षेत्रों म भी यह योजना शीघ्र लागू की जायगी।

राज्य में डीजल, मिट्टी का तेल, सीमेंट और चीनी आदि की उपलब्धता सन्तोषजनक है। जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए मेरी सरकार ने दृढ़तापूर्वक कदम उठाए हैं। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद का कार्य विभिन्न केन्द्रों पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों को उनके धान का और अच्छा मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से धान के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है। इस वर्ष मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत लगभग 21 लाख 74 हजार मेट्रिक टन गेहूं की खरीद भी की गयी है जो इस क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान है।

बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार सतत् प्रयत्न कर रही है। पशुओं के स्वास्थ्य सुधार एवं उनके रोग नियन्त्रण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से लखनऊ में एक एक्सरे प्लान्ट की स्थापना की जा रही है। अन्य प्रमुख नगरों में भी पाली-क्लिनिक की स्थापना कर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायगी। दुग्ध तथा ऊन उत्पादन में वृद्धि ,कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विस्तार तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि तथा इन उत्पादों के समुचित विपणन की व्यवस्था के लिए मेरी सरकार प्रयास कर रही है। इस वर्ष आपरेशन फ्लड–2 योजना के अन्तर्गत लगभग 3 हजार समितियों से 4 लाख 50 हजार लीटर दूध प्रतिदिन का उपार्जन हुआ जो विशिष्ट उपलब्धि है।

राज्य के बहुमुखी विकास में बिजली के महत्व के प्रति मेरी सरकार पूर्णतया सजग है। प्रयास किया जाता रहा है कि विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो तथा उपलब्ध क्षमता का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। इस सभय 27 बड़ी तापीय इकाइयों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की 147 करोड़ रुपए की योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके तीन वर्ष में पूरी होने की आशा है। प्लान्ट लोड फैक्टर जो 35 प्रतिशत के लगभग चल रहा था उसमें सुधार करके मार्च, 1986 तक 55 प्रतिशत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अपेक्षित समुचित विद्युत उपलब्धता को बनाए रखने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में अधिष्ठापित क्षमता में 1638 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य है। विद्युत चोरी की बढ़ती समस्या के नियन्त्रण के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 80 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण पूरा हो जाने की आशा है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों की स्थापना, प्रचार एवं प्रसार की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि और सृजित सिंचन क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जिन योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनमें से अधिकतम योजनायें पूरी कर ली जायें और सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग हो। इस वर्ष मध्य गंगा बैराज का कार्य पूर्ण कर मुख्य नहर का प्रथम संचालन किया गया तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डौंगरी, खपराल एवं रोहणी बांध परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। राज्य की लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से तीव्रगति से हो रहा है। निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, 1985 तक 27,800 निःशुल्क बोरिंग की जा चुकी है तथा लगभग 14,500 पम्प सेट भी लगाए जा चुके हैं। मेरी सरकार प्रदेश की जनता को बाढ़ से राहत पहुंचाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

राज्य के सर्वतोमुखी विकास में सड़कों एवं यातायात के अच्छे साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस वर्ष 4,367 किलोमीटर नए मार्गों का निर्माण खड़ंजा स्तर तक तथा 626 किलोमीटर मार्गों का निर्माण उसके ऊपर के स्तर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान सड़कों के सुधार एवं पुनर्निर्माण पर भी मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। यातायात की कठिनाइयों को देखते हुए घाघरा नदी पर टाण्डा एवं तुर्तीपार में दो बड़े पुलों के निर्माण की मंजूरी दे दी गयी है।

सड़क परिवहन व्यवस्था को और अधिक उपयोगी तथा कुशल बनाने की दिशा में मेरी सरकार प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रशासनिक ढांचे को और सुदृढ़ किया जा रहा है। तथा बस बेड़े की प्रतिस्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,237 नई बसें उपलब्ध कराने का प्रयास है। नगरीय बस सेवाओं में सुधार लाने हेतु भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। परिवहन से सम्बन्धित प्रवर्तन कार्य को और मजबूत किया जा रहा है।

राज्य में पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं और उससे होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है। अनेक स्थानों पर पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है।

नगरीय जनसंख्या में तीव्रता से हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरों में आवास और उनके सुनियोजित विकास की समस्याएं पैदा हो गयी हैं जिनके समाधान के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है। नगरों में समाज के कमजोर वर्गों के आवास की व्यवस्था के लिए मेरी सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। वर्ष 1985–86 में ऐसे व्यक्तियों के लिए 30 हजार भवन निर्माण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

"सन दो हजार ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य" की राष्ट्रीय नीति को साकार करने की दृष्टि से मेरी सरकार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कायक्रमों के सफल संचालन के लिए कृत संकल्प है। बच्चों के प्राणघातक बीमारियों से बचाव हेतु रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के दो जनपद में तथा पांच मेडिकल कालेजों में यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है।

लखनऊ में संजय गांधी आर्युविज्ञान संस्थान का निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से चल रहा है। इसमें जुलाई, 1986 से चिकित्सा उपचार का कार्य और 1986–87 में शिक्षण कार्य आरम्भ करने का प्रयास किया जायगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन-मानस का कार्यक्रम बनाने के लिए कई एक योजनाएं लागू की गयी हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसके सक्रिय कार्यान्वयन का दायित्व जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को सौंपा गया है। इसमें प्रदेश की जनता का सहयोग पूर्णरूप से अपेक्षित है।

यह वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व का है। शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति पर सार्वजनिक विचार चल रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, महिला शिक्षा का विस्तार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं विज्ञान की शिक्षा के प्रसार के लिए मेरी सरकार कृत-संकल्प है। इस वर्ष तीन और विश्वविद्यालयों को जो सम्बद्धीय विश्वविद्यालय थे, आवासीय स्वरूप दे दिया गया है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष सीलिंग भूमि के आवंटन, आवास स्थल आवंटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में शत प्रतिशत से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त कर ली गयी है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, ग्रामीण शिल्पकारों, भूमिहीन, कृषि श्रमिकों एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क आवास स्थल दिए जाने की योजना के अन्तर्गत 18 लाख 44 हजार व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित किए जा चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वतोमुखी विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। गरीबी निवारण कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं को एक लाख रुपए तक के कार्य कराने हेतु प्राधिकृत किया गया है। विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के एक-एक अभियन्ता तैनात किए गये हैं, जो गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों के कार्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक पाठशालाओं, पंचायत भवनों तथा सड़कों व पुलियों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए आवश्यक व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य मुख्यालय पर टेक्निकल आडिट सेल का गठन किया गया है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं तथा पंचायती राज विभाग की योजनाओं के माध्यम से सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन एवं रख-रखाव का वृहत स्तर पर कार्य लिया जायगा। इसके अतिरिक्त एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यों में लाभार्थियों के चयन एवं उनकी योजनाओं में ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों का विशेष योगदान लिया जायगा। ग्राम स्तरीय नियोजन के लिए प्रत्येक ग्राम में आर्थिक रजिस्टर बनाया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से एक ही स्थान से कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक सभी कृषि निवेशों तथा ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक समिति में एक ग्रामीण गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है।

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्ग के कल्याण तथा उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार के प्रति कृत संकल्प है। आगामी वित्तीय वर्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की लगभग एक लाख 22 हजार विधवाओं को लाभान्वित किया गया है और लगभग 24 हजार विकलांगों के भरण-पोषण की व्यवस्था की गयी है।

भूमि सुधार, भू-अभिलेखों के रख-रखाव, भू-राजस्व आदि के मामलों में शासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भूमिहीन कृषक श्रमिकों, सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए विशेष सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। निर्बल वर्ग को शीघ्र आवासीय और कृषि योग्य भूमि देने के आशय से अधिकतम जोत सीमा के मामलों के अविलम्ब निस्तारण के लिए अपीलों की सुनवाई का अधिकार मण्डलायुक्तों को दिया गया है। सीलिंग भूमि के आवंटियों को, जिनके पास 3.125 एकड़ से कम भूमि है, भू-राजस्व से राहत दिलाए जाने के लिए भी कानून में समुचित व्यवस्था की जा रही है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाकर जनसाधारण को राजस्व सम्बन्धी मामलों में शीघ्र न्याय

एवं सहायता दिलाई जाय। प्रथम चरण में प्रदेश के 15 जनपदों में मुख्य राजस्व अधिकारी तथा 35 तहसीलों में जिनकी आबादी 7 लाख से अधिक है एक अतिरिक्त परगनाधिकारी तथा 99 तहसीलों में जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है एक अतिरिक्त तहसीलदार की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रति सजग है। नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड्स जैसे संगठनों को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि वे साम्प्रदायिक सद्भावना और कौमी एकता की दिशा में प्रभावी योगदान कर सकें। संवेदनशील जिलों में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने में जन-सामान्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए शान्ति समितियों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

राज्य की जनता को शीघ्र न्याय दिलाने की दृष्टि से मेरी सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 94 सिविल जज के अतिरिक्त न्यायालय सृजित किए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 50 नए न्यायालय सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार न्यायालयों की सर्वतोमुखी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कार्यवाही कर रही है। निर्बल वर्ग को शीघ्र तथा सस्ता न्याय दिलाने की दिशा में लोक अदालतें आयोजित की गयीं। लोक अदालत के कार्य के क्षेत्र में देश में इस राज्य का दूसरा स्थान है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप इस वर्ष एक लाख 44 हजार से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए।

मेरी सरकार पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है जिसमें पारिस्थिति की और पर्यावरण सुरक्षा तथा सन्तुलन के राष्ट्रीय महत्व के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इस हेतु वानिकी व भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण, वनों की सुरक्षा व वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा चारागाह विकास एवं एकीकृत जलागम प्रबन्ध योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य की 7वीं पंचवर्षीय योजना का आकार 11 हजार करोड़ रुपया अनुमानित हुआ है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। छठी पंचवर्षीय योजना के विकास दर की उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औसत वार्षिक विकास दर 6 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। विकास दर के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तदनुरूप भौतिक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। राज्य में अन्तर-क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1982–83 से लागू की गयी विकेन्द्रीयित नियोजन प्रणाली को अधिक प्रभावी रूप से चलाया जायगा और यह भी प्रयास किया जायगा कि जनपद योजना स्थानीय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके तथा साथ ही साथ स्थानीय जनशक्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग हो। प्रदेश के दस्यु प्रभावित जनपदों में विकास के कायक्रमों विशेषकर बीहड़ सुधार, सड़क व पुल निर्माण और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में तीव्रता लाए जाने की योजना है। इन कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार ने विशेष सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

माननीय सदस्यगण, मैंने सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। इस सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 1986–87 का आप-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें भी आपके सामने प्रस्तुत की जायेंगी। इन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायगी। पिछले सत्र के बाद से अब तक जो अध्यादेश मैंने प्रख्यापित किए हैं उनके प्रतिस्थानी विधेयक तथा कुछ अन्य विधेयक भी आपके सामने विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

9097

आज हमारा देश एक नए उत्साह के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमें अपनी पूरी शक्ति रचनात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगानी है और हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें शान्ति, अहिंसा और सहिष्णुता की भावना हो। हम राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब राज्य में ऐसे समाज के निर्माण में सहयोग देंगे ताकि इसके भविष्य को उज्जवल और गौरवमय बनाया जा सके और राज्य की समस्त जनता को सुख तथा समृद्धि प्राप्त हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कत्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं।

जय हिन्द।

हिमाचल प्रदेश

पी0एस0यू0पी0—एल0 406 वि0सभा (693)—1986--813।